



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30—मई 6, 2016 (वैशाख 10, 1938)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30—MAY 6, 2016 (VAISAKHA 10, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई—400001, दिनांक 12 जनवरी 2016

सं. बैवि.आइबीडी.सं.7718/23.13.062/2015-16—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाये :—

“यूबीएस एजी”

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

बेंगलूर—560013, दिनांक 26 नवम्बर 2015

सं. सी-II/10(2)2014/के.एन व गोवा/वॉल्यूम कवरेज/30774—जब कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं

प्रकीर्ण उपबंध 1952 (1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं।

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
1.	जीबी आरसीएच/1320707	मैसर्स मलाई हलु उत्पडकर सहकारी संघ नियमित	01.05.2015
2.	जीबी आरसीएच/1321267	मैसर्स श्री हेमा वेमा महिला पट्टिन सहकारी संघ नियमित	02.05.2015

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं

वी विजय कुमार
अपर कें. भ. नि. आयुक्त
कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर
कृते केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2016

सं. ए-12011/2/2015-स्था. दिनांक 22.12.2015—मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के भर्ती नियम के संशोधन के संबंध में भारत के राजपत्र, भाग III खण्ड 4 में 6—12 फरवरी 2016 में अधिसूचित अधिसूचना को दिनांक 22.12.2015 से निरस्त माना जाये।

बी के त्रिपाठी
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 12th January 2016

No. DBR.IBD. No. 7718/23.13.062/2015-16—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following:

“UBS AG”

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Bangalore-560013, the 26th November 2015

No. C-II/10(2)2014/KN/Vol.Cov/30774—WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
1.	GB/RCH/1320707	M/s Malali Halu Utpadakar Sahakari Sangha Niyamit	01.05.2015
2.	GB/RCH/1321267	M/s Shri Hema Vema Mahila Pattin Sahakar Sangha Niyamit	02.05.2015

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

V VIJAYA KUMAR
Additional Central PF Commissioner-I
Karnataka and Goa States
for Central Provident fund Commissioner

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

New Delhi, the 22nd March 2016

No. A-12011/2/2015-Estt. dated 22.12.2015—Regarding amendment of Recruitment Rule to the post of Chief Regional Planner, National Capital Region Planning Board, notified in the Gazette of India, Part III, Section 4 on 6—12 February, 2016, shall stand cancelled w.e.f. 22.12.2015.

B K TRIPATHI
Member Secretary
National Capital Region Planning Board

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
www.dop.nic.in